

धारण कर रहे हैं, 3700-5000 रुपए के उन्नतित वेतनमान में पद पर इस प्रकार नियुक्त समझे जाएंगे।

(ग) स्तम्भ 12 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रोत्तति:

सहायक रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न जिन्होंने उच्च श्रेणी में 5 वर्ष निवृत्त सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/अध्यक्षकारी/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो निवृत्त आधार पर सद्यः पद धारण करते रहे हैं।

(ii) जिन्होंने 3000-4500 रु० के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पाय सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन अधिकृत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अधीन उन्नी या निम्नी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(3) मूल नियम रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने:—

(क) स्तम्भ 4 में 1100-50-1600 रु. अंक और अक्षर के स्थान पर 3000-100-3500-125-4500 रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तम्भ 12 में खंड (क) (ii) और (iii) के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(ii) जिन्होंने 2200-4000 रुपए वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 2000-3500 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष सेवा की है; और

(4) ज्येष्ठ परीक्षक व्यापार चिह्न के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने:—

(क) स्तम्भ "4 में 700-10-900-द.रो.-40-1100-50-1300 रु." अंक और अक्षर के स्थान पर "2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तम्भ (12) में खंड (क) (ii) और (iii) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(i) जिन्होंने 2000-3500 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष सेवा की है; या

(ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और";

(5) परीक्षक व्यापार चिह्न के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 द.रो. सामने 4 के नीचे "650-30-740-35-810-द.रो.-35-880-40-1000 द.रो. 40-1200 रु. के अंक और अक्षर के स्थान पर "2000-60-2300-द.रो. 75-3200 रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(6) प्रगतनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने:—

(क) स्तम्भ 4 में खंड "650-30-740-35-810-द.रो.-35-880-40-1200 रु." अंक और अक्षर के स्थान पर "2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500" रु. अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तम्भ 12 में खंड (क) (ii) और (iii) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने 1400-2300 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष सेवा की है।

[फा. सं. ए-12018/4/88-ई.1-(11)]

टिप्पण:— मूल नियम सा.का.नि. 13 तारीख 2-1-1982 के अधीन अनुसूचित किए गए थे और उनके संशोधन सा.का.नि. 881 तारीख 25-11-1983 और सा.का.नि. तारीख 8-2-1985 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

G.S.R. 320.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Trade Marks Registry (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Trade Marks Registry (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Trade Marks Registry (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1981,—

(1) against serial number 1 relating to the post of Joint Registrar of Trade Marks,—

(a) in column 4, for the letters and figures "Rs. 1500-60-1800-100-2000", the letters and figures "Rs. 4500-150-5700" shall be substituted;

(b) in column 11, after the entries, the following note shall be inserted, namely:—

"Note.—Those holding the post of Joint Registrar of Trade Marks in the pre-revised scale of Rs. 1500-2000 on a regular basis prior to notification of these rules shall be deemed to have been so appointed to the post in the upgraded scale of Rs. 4500-5700."

(c) in column 12, for the entries the following shall be substituted, namely:—

"Promotion:

Deputy Registrar of Trade Marks with 5 years' regular service in the grade.

Transfer on deputation (including short-term contract):

Officers under the Central/State Governments/Universities/Semi-Governments/Statutory or Autonomous Organisations:—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8.

Period of deputation including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 5 years.”;

(2) against serial number 2 relating to the post of Deputy Registrar of Trade Marks,—

(a) in column 4, for the letters and figures “Rs. 1300-50-1700”, the letters and figures “Rs. 3700-125-4700-150-5000” shall be substituted;

(b) in column 11, after the entries, the following note shall be inserted, namely :—

“Note.—Those holding the posts of Deputy Registrar of Trade Marks in the pre-revised scale of Rs. 1300-1700 on a regular basis, prior to notification of these rules shall be deemed to have been so appointed to the post in the up-graded scale of Rs. 3700-5000.”;

(c) in column 12, for the entries the following shall be substituted, namely :—

“Promotion :

Assistant Registrar of Trade Marks with 5 years' regular service in the grade.

Transfer on deputation (including short-term contract) :  
Officers of the Central/State Governments/Universities/  
Semi-Government/Autonomous or Statutory Or-  
ganisations :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or  
(ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).”;

(3) against serial number 3 relating to the post of Assistant Registrar of Trade Marks,—

(a) in column 4 for the letters and figures “Rs. 1100-50-1600”, the letters and figures “Rs. 3000-100-3500-125-4500” shall be substituted;

(b) in column 12 for the existing entries against clause (a) (ii) and (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

“(ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or

“(iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and”;

(4) against serial number 4 relating to the post of Senior Examiner of Trade Marks,—

(a) in column 4 for the letters and figures “Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300”, the letters and figures “Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000” shall be substituted;

(b) in column 12 for the existing entries against clause (a) (ii) and (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

“(ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; or

“(iii) with 5 years' service in the posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; and”;

(5) against serial number 5 relating to the post of Examiner of Trade Marks under column 4, for the letters and figures “Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1800-EB-40-1200”, the letters and figures “Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500” shall be substituted;

(6) against serial number 6 relating to the post of Administrative Officer,—

(a) in column 4 for the letters and figures “Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-40-1200” the letters and figures “Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500” shall be substituted;

(b) in column 12 for the existing entries against clause (a) (ii) and (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

“(ii) with 3 years' service in posts, in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or

“(iii) with 8 years' service in the scale of Rs. 1400-2300 or equivalent.”

[File No. A-12018/4/88-E. IV(ii)]

NOTE.—Principal rules were notified vide G.S.R. 13, dated 2-1-1982 and amended vide G.S.R. 881, dated 26-11-1983 and G.S.R. dated 8-2-1985.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1989

भा.का.नि. 321.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विकास विभाग के प्रधान नमक आयुक्त के कार्यालय में ज्येष्ठ कार्यक्रम के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) : इन नियमों का संक्षिप्त नाम नमक आयुक्त का कार्यालय (ज्येष्ठ कार्यक्रम) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उसके संबंधित अन्य बातें व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह अर्हता—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उसका पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।